

Parimal Nathwani

Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member :

Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Civil Aviation
Permanent Special Invitee :
Consultative Committee, Minister of External Affairs



165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: +91-11-23794010
E-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

B/107, Harmu Housing Colony, P.O. Doranda,
P.S. Argora, Ranchi - 834 012
Ph.: +91-651-2244144

मीडिया रील्लिज

**झारखण्ड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के
20 पदों के सामने सिर्फ 11 कार्यरत**

**30 हजार से ज्यादा सिविल और 27 हजार से
ज्यादा आपराधिक मामले लम्बित**

**कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने राज्य सभा में
सांसद परिमल नथवाणी को दी जानकारी**

रांची : अगस्त 19, 2013 : केन्द्रीय विधि और न्याय तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने राज्य सभा में सांसद श्री परिमल नथवाणी के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि झारखण्ड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल अनुमोदित पद संख्या 20 है, जिसमें 10 स्थायी न्यायाधीशों एवम् 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद शामिल हैं। इनके सामने, झारखण्ड उच्च न्यायालय में सिर्फ 11 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं जिनमें 09 स्थायी और 02 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। इस प्रकार, झारखण्ड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल 09 पद रिक्त हैं।

1 अगस्त 2013 की स्थिति में देश के विभिन्न 21 उच्च न्यायालयों में कुल 906 न्यायाधीशों की अनुमोदित पद संख्या के सामने केवल 631 न्यायाधीश कार्यरत थे।

मंत्री महोदय द्वारा लम्बित आपराधिक एवम् सिविल मामलों के विषय में दी गई जानकारी के मुताबिक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 43 लाख 40 हजार आठ सौ सड़सठ मामले लम्बित हैं। इनमें 34 लाख एक हजार एक सौ तिरानवे सिविल और नौ लाख 39 हजार छः सौ चौहत्तर आपराधिक मामले हैं।

सदन में रखे गये विवरण के अनुसार 31 मार्च 2012 की स्थिति में झारखण्ड उच्च न्यायालय में 30 हजार सात सौ सत्रह सिविल मामले और 7 हजार सात सौ चौरानवे आपराधिक मामले मिलाकर कुल 58 हजार पांच सौ ग्यारह मामले लम्बित हैं।

Parimal Nathwani

Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member :

Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Civil Aviation
Permanent Special Invitee :
Consultative Committee, Minister of External Affairs



165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: +91-11-23794010
E-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

B/107, Harmu Housing Colony, P.O. Doranda,
P.S. Argora, Ranchi - 834 012
Ph.: +91-651-2244144

मंत्री महोदय ने बताया कि लम्बित मामलों के आंकड़े उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा रखे जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जानी है। आपने कहा कि उच्चतर न्यायपालिका के लिए उचित अभ्यर्थियों के चयन के लिए उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच चलनेवाली एक सतत परामर्शी प्रक्रिया है।

आपने यह भी कहा कि हमारी न्यायिक प्रणाली में मामलों के बृहत् बैकलॉग और लम्बित मामलों के द्वारा उत्पन्न हुई चुनौतियों को न्यायपालिका की सक्रिय भागीदारी के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता।

सदन में रखे गये विवरण के मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक 6,70,471 सिविल मामले और 3,38,062 आपराधिक मामले लम्बित थे।

★ ★ ★